



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42921

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2434/2026

राम सागर

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	नीलम शुक्ला, सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

कोर्ट नं. - 65

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

- कार्यालय ने दिनांक 24.02.2026 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि मामले के पहले सूचनाकर्ता को जारी किया गया नोटिस व्यक्तिगत रूप से दिया गया है, नोटिस तामील करने के साथ-साथ सूची को दोहराने के बावजूद, कोई भी सूचनाकर्ता या उच्च न्यायालय कानूनी सेवाओं के लिए उपस्थित नहीं होता है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इसी तरह के सह-आरोपी संदीप को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 41556 सन् 2025 में पारित दिनांक 12.02.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर रिहा कर दिया गया है, जिसकी प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है और रिकॉर्ड पर ली गई है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक समानता के आधार पर जमानत का भी हकदार है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य तर्क भी न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर लागू करना उचित समझे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आवेदक 07.10.2025 से जेल में बंद है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा, हालांकि, समानता के संबंध में आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विवाद नहीं कर सकता है।

5. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

6. आवेदक **राम सागर** को केस क्राइम नंबर 174/2025, धारा 70(2), 115(2), 351(3) बी.एन.एस. और पॉस्को एक्ट की धारा 5/6 के तहत, पुलिस थाना मुंडेरवा, जिला बस्ती में, एक निजी मुचलका भरने और उतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदार पेश करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iv) आवेदक उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके लिए आवेदक पर आरोप लगाया गया है, या आयोग का संदेह है।

v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी)

फ़रवरी 25, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"